निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–**02**/2022
दायरा दिनांक :–21.03.2022
निर्णय दिनांक :– 17.7.23

उनवान

भागचन्द गौड़ पुत्र श्री बल्लभ उर्फ हरिबल्लभ जाति खाती निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज 0

–**अपीलान्ट**

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी सुण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 –**रेस्पोडेन्ट**

अपील इंतकाल नं0 384 दिनांक 19.03.20
ग्राम शाहगढ तहसील बारां जिला बारां राज0

निर्णय दिनांक :– 17.7.23
अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एड0– वादी

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इंतकाल नं0 384 दिनांक 19.03.20 ग्राम शाहगढ तहसील बारां जिला बारां राज0 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय की पेश कि गयी कि ग्राम पंचायत कोटडी सुण्डा के सरपंच रेस्पो0 कम 1 के द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत इंतकाल में अपी0 का नाम भागचन्द की जगह भगवती प्रसाद कर दिया है। जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलाण्ट यह अपील प्रस्तुत करता है। अपीलाण्ट का राशन कार्ड में, जन आधार कार्ड में, आधार कार्ड में सभी दस्तावेजों में भागचन्द दर्ज है, लेकिन पटवारी जी को जाचं करते समय किसी के द्वारा अपीलान्ट का नाम गलत भगवती प्रसाद दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम भागचन्द पुत्र बल्लभ उर्फ हरिबल्लभ है। अपीलाण्ट का नाम गलत दर्ज हो जाने से अपीलाण्ट को प्रधानमन्त्री योजना व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे अपीलाण्ट को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है किसान कार्ड भी नहीं बन पाने से अपीलाण्ट को कृषि जमीन पर के0सी0सी0 भी नहीं बन पा रही है। अपीलाण्ट को उक्त गलत नाम की जानकारी दिनांक 08.03.2022 को होने पर इन्तकाल की नकल प्रार्थना पत्र पेश किया तथा इन्तकाल नकल दिनांक 14.03.2022 को प्राप्त हुई [illegible] प्राप्त कर अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। इन्काल ग्राम [illegible] के सरपंच द्वारा तस्दीक किये जाने से श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजि0 कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 बावजूद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामा0 नं0 384 दिनांक 19.03.2020 ग्राम कोटडी सुण्डा, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र बल्लभ उर्फ हरिबल्लभ दिनांक 02.11.2010, फोटो प्रति आधार कार्ड पेश की गई।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील अपीलान्टका कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी सूण्डा में स्थित है ग्राम पंचायत कोटडी सूण्डा के सरपंच द्वारा इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम भागचन्द के स्थान भगवती प्रसाद दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम भागचन्द है अपीलान्ट के पिता बल्लभ उर्फ हरिबल्लभ के स्वर्गवास होने के वाद फोती नामा0 खोलते समय हल्का पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी सूण्डा द्वारा अपीलान्ट का नाम भागचन्द के स्थान पर भगवती प्रसाद दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम भागचन्द है अपीलान्ट के अन्य दस्तावेजों में भागचन्द दर्ज है नामा0 गलत खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जिसे खारिज फरमाया जाकर पुनः नामा0 खोलने के आदेश तहसीलदार बारां को देने का निवेदन किया गया है।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामा0 सं0 384 दिनांक 19.03.2020 के अनुसार अपीलान्ट का नाम भगवती प्रसाद पुत्र हरिबल्लभ हिस्सा 1/5 दर्ज है फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, फोटो प्रति आधार में अपीलान्ट का नाम भागचन्द अंकित है। इससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम भागचन्द है परन्तु नामा0 नं0 384 खालते समय अपीलान्ट का नाम भगवती प्रसाद दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामा0 नं0 384 दिनांक 19.03.2020 खारिज किया जाता है। मृतक बल्लभ उर्फ हरिबल्लभ केवारिसान के सही नाम की जांच कर पुनः नामा0 खोलने हेतु तहसीलदार बारां को रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner